कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2020 / 4917 दिनांक : 12.10.2020

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय :– Diversion of 700.347 ha. forest land in favour of Executive Engineer WR Div Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt. Kota (Rajasthan) under Estern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I(A) (Proposal No FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

प्रसंग :–आपका पत्रांक एफ 14 (301 / 17)2018 / एफसीए / प्रमुवसं / 2808 दि0 30.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से चाही गयी सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक एफ ( ) उवसं / तक / 2020 / 8196 दिनांक 09.10.2020 से अवगत कराया है कि जिला कलेक्टर कोटा ने पत्रांक 2513–16 दिनांक 07.10.2020 से नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आर रही वनभूमि के एवज में समतुल्य राजस्व भूमि (580.938 है0) वन विभाग को आवंटन का प्रकरण राजस्व विभाग (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था जिसमें शीघ्र आवंटन अपेक्षित है। यह समतुल्य भूमि जिसे वन विभाग को आंवटित करने हेतु राजस्व विभाग को लिखा है राजस्व विभाग से निस्तारण तक इस भूमि को वन विभाग हेतु आरक्षित रखा है।

इसी परियोजना के क्रम में उप वन संरक्षक बारां ने अपने पत्रांक एफ ( )एफसीए / उवस / 2020–21 / 9247 दिनांक 09.10.2020 से अवगत कराया है डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के समतुल्य दी जाने वाली गैर वनभूमि 119.409 है0 के संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.6(38) राज.–3 / 2020 जयपुर दिनांक 05.10.2020 से आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्तानुसार जिला कलेक्टर बारां द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त क्रम में उप वन संरक्षक कोटा / बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय पत्रादि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2020 / दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां / कोटा को उनके उक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

C:\office doc\Documents\FCA\FCA letter, 2019.docx 323

PVC-1st

FCA 9/10/2020

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.)।।

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ ( )उवसं / तक. / 2020 / 9196 दिनांकः 9.10.2020

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषयः–Division of 700.347 ha. forest land in favour of EXECUTIVE ENGNEER WR DIV Kota for Navnera Barrage across River kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt Kota (Rajasthan) under Estern Rajasthan Canal project (ERCP) phase-I (A) Prposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2808 दिनांक 30.09.2020.

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना ,खण्ड प्रथम कोटा पत्रांक अ.अ. / जस / नवनेरा / वनविभाग / 2020 / 291 दिनांक 07.10.2020 से प्राप्त सूचना को आज दिनांक 09.10.2020 को इस कार्यालय द्वारा ऑन लाईन कर, हार्ड कॉपी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक प्र.वि.परि. कार्यालय (कोटा) आमद सं. 4936 दि. 9-10-20

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकः–एफ ( )उवसं / तक. / 2020 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना ,खण्ड प्रथम कोटा।

उप वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा

क्रमांक : अ.अ./जस./नवनेरा/वनविभाग/2020/291 दिनांक : 07.10.2020

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)

राजस्थान ~~सरकार~~ जयपुर।

विषय :– Diversion of 700.347 Ha forest land in favour of EXECUTIVE ENGINNER WR DIV KOTA for Navnera Barrage across Kalisindh river near village Abra Tehsil Digod Distt Kota (Rajasthan) under Estern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I(A) (Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ :– श्रीमान् का कार्यालय पत्र क्रमांक एफ14(301/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/2808 दिनांक 30.09.2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक 2228 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में समतुल्य 580.938है0 राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन का प्रकरण राजस्व विभाग (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था तथा आवंटन शीघ्र अपेक्षित है।

श्रीमान् के संदर्भित पत्र के क्रम में श्रीमान् जिला कलेक्टर कोटा ने अपने कार्यालय पत्रांक प0 ( ) राजस्व–।।। नोनेरा /2020/2513-16 दिनांक 07.10.2020(प्रति संलग्न) द्वारा 580.938है0 भूमि जिसका प्रकरण वन विभाग को आवंटन हेतु राजस्व विभाग (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर को भिजवाया गया है, के संदर्भ में श्रीमान् को निवेदन किया है कि "राजस्व विभाग से निस्तारण तक इस भूमि (580.938है0) को वन विभाग हेतु आरक्षित रखा जावेगा तथा अन्य किसी प्रयोजनार्थ इस भूमि का आंवटन किसी अन्य को नहीं किया जावेगा"।

बारां जिला हेतु नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में 119.409है0 राजस्व भूमि का आवंटन किये जाने कि राजकीय स्वीकृति शासन उप सचिव राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक प6(38)राज.–3/2020 जयपुर दिनांक 5.10.2020 द्वारा प्रदान की जा चुकी है(प्रति संलग्न)

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्रीमान् के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति की जा चुकी है अतः प्रकरण को अग्रिम स्तर प्रेषित करवाने का कष्ट करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन नवनेरा परियोजना
खण्ड प्रथम कोटा

दिनांक : 07.10.2020

क्रमांक : अ.अ./जस./नवनेरा/वनविभाग/2020/292-98

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर कोटा/बारां।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त कोटा।
5. श्रीमान् उप वन संरक्षक कोटा/बारां।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन नवनेरा परियोजना
खण्ड प्रथम कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajasthan.gov.in

क्रमांकःप0(   )राजस्व–III / नोनेरा / 2020 2513-16 दिनांक 7.10.2020

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :– Diversion of 700.347 Ha forest land in favour of EXECUTIVE ENGINNER WR DIV KOTA for Navnera Barrage across Kalisindh river near village Abra Tehsil Digod Distt Kota (Rajasthan) under Estern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-1(A) (Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ :– श्रीमान् का कार्यालय पत्र क्रमांक एफ14(301 / 17)2018 / एफसीए / प्रमुवसं / 2808 दिनांक 30.09.2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नवनेरा परियोजना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2228 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन का प्रकरण राजस्व विभाग (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था जिसमें शीघ्र आवंटन अपेक्षित है।

श्रीमान् के संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्त भूमि जो वन विभाग को आवंटन हेतु राजस्व विभाग को भिजवायी गई है, अतः राजस्व विभाग से निस्तारण तक इस भूमि को वन विभाग हेतु आरक्षित रखा जावेगा तथा अन्य किसी प्रयोजनार्थ इस भूमि का आंवटन किसी अन्य को नहीं किया जावेगा।

जिला कलक्टर
कोटा

क्रमांकःप0(   )राजस्व–III नोनेरा / 2020 2513-16 दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक कोटा।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक कोटा।
3. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा।

अति0 जिला कलक्टर
कोटा

FCA
आशु
12/10/2020

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020–21/ 9247 दिनांक 9/10/2020

निमित्तः– संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः –Navnera Barrage across River kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt Kota (Rajasthan) under Estern schem in Rajasthan Canal project (ERCP) Phase-1(A)
Proposal Name;- **FP/RJ/IRRIG/35905/2018 (119.409 ha.)**

सन्दर्भः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक,हाफ, राजस्थान जयपुर जयपुर के पत्र क्रमांक 2808 दिनांक 30.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नोनेरा बेराज Eastern Rajasthan Canal project (ERCP) के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के समतुल्य दी जाने वाली गैर वन भूमि 119.409है0 के संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप –3) विभाग के क्रमांक प: 6 (38) राज. –3/2020 दिनांक 05.10.2020 को राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला कलक्टर बारां द्वारा सेट अपार्ट की स्वीकृति अपेक्षित है।

मुख्य वन संरक्षक का.वि.प्र. कोटा
आमद सं. 4996
दि 12-10-20

भवदीय

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/20–21/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयुपर।

2. अधिशाषी अभियंता ,जल संसाधन खण्ड कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

कमांक प.: 6 (38)राज.–3 / 2020

जयपुर, दिनांक 05/10/2020

जिला कलक्टर,

बारां।

विषयः–Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.)के अन्तर्गत निर्माणधीन नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि आरक्षित करने बाबत।

संदर्भः आपका पत्र कमांक 1125 दिनांक 16.03.2020 एवं 2902 दिनांक 18.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपके प्रस्तावानुसार Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.)के अन्तर्गत निर्माणधीन नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही बारां जिले की तहसील, अन्ता व मांगरोल की 119.409 है0 वन भूमि का बारां जिले की तहसील किशनगंज एवं शाहबाद की 119.409 है0 राजस्व भूमि से प्रत्यावर्तन कर जल संसाधन विभाग को आवंटन करने एवं प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप बारां जिले की तहसील, अन्ता व मांगरोल की 119.409 है0 वन के बदले अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा व उप वन संरक्षक, बारां की सहमति के आधार पर ग्राम इकलेरा सागर, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं0 257 रकबा 581 बीघा 15 बिस्वा (93.08 है0) किस्म, गैर मुमकिन बेहड व तहसीलदार, शाहबाद द्वारा ग्राम नचनाखेडा, तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं0 196 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 197 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 198 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 200 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 201 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 209 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 210 रकबा 25 बीघा व खसरा नं0 211 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा किस्म बंजड कुल किता 9 कुल रकबा 746 बीघा 07 बिस्वा (कुल 119.409 है0 राजस्व भूमि) भूमि, वन विभाग को राजस्थान भू–आवंटन नियम 1963 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति निर्देशानुसार एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय

05.10.20

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. रक्षित पत्रावली।
3. गार्ड पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव